बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / 02–भू0अ0नि0(आरोप)जमुई–13 / 2023......8317 पटना, दिनांक :–03/10/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 28 दिनांक 11.01.2023 द्वारा श्री पंकज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00505) के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने, लक्ष्य प्राप्ति में विफल रहने एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्य के सकारात्मक माहौल को बाधित रखने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 1693 दिनांक 21.02.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल कार्यालय द्वारा सरकारी एवं बंदोबस्ती जमीन का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। साथ ही अंकित किया गया है कि उत्पन्न कठिनाईयों से उच्च पदाधिकारियों को इनके द्वारा अवगत कराने की बात कही गयी है।

आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 2630 दिनांक 03.04.2023 एवं स्मार पत्रांक 4315 दिनांक 22.05.2023 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से अनुशंसा सहित सुस्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी है। अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी के पत्रांक 368 दिनांक 25.05.2023 द्वारा मंतव्य दिया गया है कि आरोपित कार्य में अभिरूचि नहीं रखते है एवं अन्य विशेष सर्वेक्षण अमीनों को कार्य में वाधा डालने तथा वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाते हैं। साथ ही वरीय पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने संबंधी दुष्कृत्यों का मास्टर माईंड अंकित करते हुए चयन मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नैसर्गिक न्याय का पालन करते हुए पुनः भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 5733 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। आरोपित द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार एवं तथ्य विहीन बताया गया है।

लगाए गए आरोप, प्राप्त अनुशंसा एवं आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा अपने प्रथम स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि इन्हें सरकारी एवं बंदोबस्ती जमीन का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिस संबंध में इनके द्वारा उच्च पदाधिकारियों को अवगत कराया जाता रहा है। इस संबंध में स्पष्टीकरण के साथ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जो इनके स्पष्टीकरण की पुष्टि करता हो। अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी द्वारा दिए गए मंतव्य में लगाए गए आरोप को आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निराधार एवं तथ्यविहीन अंकित करते हुए मात्र आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है। प्राप्त मंतव्य के साथ संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कार्य में लापरवाही, शिथिलता एवं शिविर प्रभारी से अनुशासनहीनता करने के कारण बंदोबस्त कार्यालय स्तर से कई बार स्पष्टीकरण किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि होती है।

क्र० पृ० उ०

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। ऐसे कर्मियों के रहते निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनके कृत्यों का प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, जो सर्वेक्षण जैसे समयबद्ध कार्यक्रम के लिए उचित नहीं होगा। इस परिपेक्ष्य में इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही कार्यहित में उचित है।

अतः **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)''** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री पंकज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00505) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह) 29/9/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0(आरोप)जमुई–13 / 2023 8317 **पटना, दिनांक** :– 03/10/2023

प्रतिलिपि :– श्री पंकज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00505), बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0(आरोप)जमुई–13 / 2023 8317 **पटना, दिनांक** :– 03/10/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0(विशेष सर्वेक्षण कर्मी)शिवहर–40 / 2022 8317 **पटना, दिनांक** :– 03/10/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित इनकी व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 29/9/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप